भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

भादूविप्रा
TRAI

4 अप्रैल, 2025

आदेश

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (c) के साथ पठित "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024" (2024 का 7) के विनियम 4 और विनियम 13 के अंतर्गत, डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी और प्रॉपर्टी मैनेजर के पंजीकरण शुल्क के संबंध में आदेश।

F. No. AU-4/2/2(2)/2024-QoS--- जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (जिसे इसके पश्चात "भादूविप्रा अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है), को अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए कतिपय कार्यों जिसमें विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण करना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, का निर्वहन सौंपा गया है;

2. **और जबकि**, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 36, जिसे धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (b) के उप-खंड (i) और (v), खंड (c) और खंड (d) **के साथ पठित**, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 (2024 का 7) दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 (जिसे इसके पश्चात "विनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) बनाया है, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए रूपरेखा को निर्धारित किया गया है;

3. और **जबकि** विनियमों का विनियम 4 डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (जिसे इसके पश्चात "डीसीआरए" के रूप में संदर्भित किया गया है) के पंजीकरण का प्रावधान करता है और उक्त विनियम का उप-विनियम (1) इस प्रकार है: -

> "***4. पंजीकरण के लिए आवेदन.—*** *(1) कोई भी संस्था, जो विनियम 5 के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करती है और इन विनियमों के तहत डीसीआरए के रूप में कोई गतिविधि शुरू करने का इरादा रखती है, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके और प्रारूप में और ऐसे शुल्क के भुगतान पर रेटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रदान करने हेतु प्राधिकरण को आवेदन करेगी।"*

4. और **जबकि** विनियमों का विनियम 6 प्रावधान करता है कि प्राधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, आवेदक को पांच वर्ष की अवधि के लिए रेटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रदान करेगा, और ऐसा पंजीकरण ऐसे शुल्क के भुगतान और ऐसे नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आदेश या निर्देश द्वारा निर्दिष्ट किया **जा सकता है;**

5. और जबकि विनियमों के विनियम 13 में प्रॉपर्टी मैनेजर के पंजीकरण का प्रावधान है और उक्त विनियम का उप-विनियम (1) निम्नानुसार है:-

*"**13. रेटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण**.— (1) कोई भी संपत्ति प्रबंधक, जो इन विनियमों के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अपनी संपत्ति की रेटिंग के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके और प्रारूप में तथा ऐसे शुल्क का भुगतान करके रेटिंग प्लेटफॉर्म पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।"*

6. और **जबकि** विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) का खंड (**ढ**) रेटिंग प्लेटफॉर्म को परिभाषित करता है और उक्त खंड की टिप्पणी इस प्रकार है:-

*"**टिप्पणी:-** प्राधिकरण उस तारीख को अधिसूचित करेगा जिस दिन रेटिंग प्लेटफॉर्म को लाइव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण, ऑनलाइन रेटिंग प्लेटफॉर्म के विकास तक, संपत्ति की रेटिंग के लिए एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान कर सकता है;*

7. अतः, अब, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के साथ पठित डिजिटल कनेक्टिविटी विनियम, 2024 (2024 का 7) के लिए संपत्तियों की रेटिंग के विनियमन 4 और विनियमन 13 के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, एतद्द्वारा, निम्नानुसार आदेश देता है: –

(a) डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी के रूप में गतिविधि शुरू करने की इच्छुक कोई भी संस्था डीसीआरए के रूप में पंजीकरण के लिए केवल दस हजार रुपये (₹10,000/-) का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा करेगी:

परंतु 30 जून 2025 को या उससे पहले जमा किए गए आवेदनों के लिए ऐसे शुल्क से छूट दी जाएगी;

(b) ऐसा आवेदक, जो पात्रता मानदंडों के अनुसार डीसीआरए के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाएगा, को केवल एक लाख रुपये (₹ 1,00,000/-) के पंजीकरण शुल्क को गैर-ब्याज वाली वापसी योग्य सुरक्षा जमा के रूप में जमा करने पर प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। हालांकि, विनियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में यह सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी;

(c) डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अपनी संपत्ति की रेटिंग के लिए आवेदन करने का इच्छुक कोई भी प्रॉपर्टी मैनेजर केवल दस हजार रुपये (₹10,000/-) का गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क जमा करेगा:

परंतु 30 जून 2025 को या उससे पहले जमा किए गए आवेदनों के लिए ऐसे शुल्क से छूट दी जाएगी;

8. कोई भी संस्था जो डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी के रूप में गतिविधि शुरू करने की इच्छुक है और किसी भी प्रॉपर्टी मैनेजर को जो डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अपनी संपत्ति की रेटिंग के लिए आवेदन करने का इच्छुक है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण के लिए अपने आवेदन जमा करने से पहले विनियमों के प्रावधानों का अवलोकन करें।

9. डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी और प्रॉपर्टी मैनेजर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति की रेटिंग के लिए क्रियाविधि प्राधिकरण की वेबसाइट **(trai.gov.in)** पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

Digitally signed by
TEJPAL SINGH
Date: 04-04-2025
16:55:07

सलाहकार (क्यूओएस-1)
भादूविप्रा (मुख्यालय), नई दिल्ली